



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय  
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005  
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/37/2019/ 1934

दिनांक: 23.05.2019

सेवा में,

श्री आर.के. जैन,  
1512-बी, भीष्म पितामह मार्ग,  
वजीर नगर, नई दिल्ली-110003

विषय: - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही सूचना के क्रम में।

महोदय,

कृपया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया आवेदन पत्र दिनांक 18.03.2019 जो कि संयुक्त आयुक्त/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी एवम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर द्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सीजीएसटी व उत्पाद शुल्क, जयपुर (कार्यालय में प्राप्त 15.05.2019) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानांतरित किया गया था का मन्दर्भ देखें।

In this context, para-wise report is as under:-

4(A) & 4(B):- Aforesaid files do not pertain to this Commissionerate. As such, the desired information is not available with this Commissionerate. Hence, the same cannot be provided.

4(C) & 4(D):- Nil

4(E):- Not applicable because the information sought under above points is nil.

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री वृज लाल मीना, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

भवदीय,

— sd —

संयुक्त आयुक्त(इन-सीटू)/के.लो.सू. अधिकारी,

प्रतिलिपि:-

1. The Web Master/Additional Commissioner, CGST Commissionerate, Jaipur for uploading on the Zonal Website.

संयुक्त आयुक्त (इन-सीटू)/के.लो.सू. अधिकारी,  
Central Public Information Officer  
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय  
Central Goods & Services Tax Commissionerate  
जयपुर Jaipur